

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †669
सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

भारत को शीर्ष पर्यटन स्थल बनाने के लिए कदम

†669. श्री रमेश बिधूड़ी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने भारत को विश्व का एक शीर्ष पर्यटन स्थल बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा कोविड काल के बाद देश के पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करने और पर्यटक गंतव्यों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

- i. देश में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना आरम्भ की। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ स्थायी और जिम्मेदार पर्यटक गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में अपनी स्वदेश दर्शन योजना में सुधार किया है।
- ii. चिह्नित तीर्थस्थलों के एकीकृत विकास हेतु राष्ट्रीय तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन योजना आरम्भ की।
- iii. 24x7 टॉल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन।
- iv. 165 देशों के नागरिकों के लिए 5 उपश्रेणियों यथा ई-पर्यटक वीज़ा, ई-बिजनेस वीज़ा, ई-मेडिकल वीज़ा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा तथा ई-सम्मेलन वीज़ा के लिए ई-वीज़ा की सुविधा प्रदान करना।
- v. ई-वीज़ा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीज़ा शुल्क में उल्लेखनीय रूप से कटौती की गई है।
- vi. बेहतर मानक सेवा प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति के प्रशिक्षण और उन्नयन हेतु 'सेवाप्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन।

- vii. देश में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण/ट्रेकिंग हेतु नई पर्वत चोटियां खोली गई हैं।
- viii. पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 1001 रु. से 7500 रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12% और 7501 रु. से अधिक के टैरिफ वाले कमरों पर जीएसटी को 18% कर दिया गया है।
- ix. पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आरसीएस उड़ान योजना के तहत चिह्नित एयर लाइनों को 59 पर्यटन रूट सौंपे गए हैं जिसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। अद्यतन स्थिति के अनुसार इनमें से 51 रूटों पर प्रचालन शुरू हो गया है।

(ग): भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय और गैर वित्तीय उपाय जिनसे देश में कोविड के पश्चात् पर्यटन का पुनरुद्धार होने की आशा की जाती है, का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

भारत को शीर्ष पर्यटन स्थल बनाने के लिए कदम के सम्बन्ध में दिनांक 06.02.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †669 के भाग (ग) के उत्तर में विवरण

कोविड के पश्चात् देश के पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहत उपाय निम्नानुसार हैं:

- i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने की ऋण-स्थगन अवधि होगी।
- ii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
- iii. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगन, बाकी के लिए @9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ।
- iv. सरकार ने 100 से कम कर्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।
- v. अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन।
- vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।
- vii. पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र कर्जदारों को योजना के तहत उनके द्वारा दिए गए ऋणों के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है। योजना के तहत स्वीकार्य गारंटी सीमा को 4.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त गारंटी कवर नागरिक उड्डयन क्षेत्र सहित आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए विशेष रूप से निर्धारित है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस योजना को संचालित करने वाली एजेंसी ने ईसीएलजीएस के तहत यात्रा, पर्यटन, होटल, रेस्तरां आदि को 22015.82 करोड़ रुपये की कुल 203180 गारंटी जारी की है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

आतिथ्य और संबंधित उद्यम क्षेत्र के दिनांक 30.11.2022 तक के ईसीएलजीएस आंकड़े

ईसीएलजीएस यात्रा और पर्यटन -संबंधी आंकड़े		
योजना का प्रकार	जारी गारंटी की संख्या	गारंटी ऋण राशि (करोड़ रु में)
ईसीएलजीएस 3.0	2943	1935.80
ईसीएलजीएस 3.0 विस्तार	668	393.12
कुल	3611	2328.94
ईसीएलजीएस - होटल, रेस्तरां आदि संबंधी आंकड़े		
योजना का प्रकार	जारी गारंटी की संख्या	गारंटी ऋण राशि (करोड़ रु में)
ईसीएलजीएस 3.0	3486	6197.5
ईसीएलजीएस 3.0 विस्तार	1336	2468
ईसीएलजीएस 2.0	219	3437.11
ईसीएलजीएस 2.0 विस्तार	4	34.47
ईसीएलजीएस 1.0	96740	3674.72
ईसीएलजीएस 1.0 विस्तार	97784	3875.08
कुल	199569	19686.88
कुल योग	203180	22015.82

- viii. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास तथा रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।
- ix. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।
- x. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए "साथी" (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।
- xi. होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

- xii. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।
- xiii. देश में अंतर्गामी पर्यटन को फिर से शुरू करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने संभावित पर्यटन बाजारों से विदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा मुफ्त में दिए हैं। पहले 5 लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार निःशुल्क वीजा का लाभ मिलेगा।
- xiv. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लिए पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है।
- xv. गृह मंत्रालय ने 165 देशों के विदेशी नागरिकों के लिए दिनांक 15 मार्च, 2022 से ई-टूरिस्ट वीजा को बहाल किया है। इसके अलावा, दुनिया भर में बढ़ते हुए टीकाकरण के कवरेज को देखते हुए और हितधारकों के परामर्श से, भारत सरकार ने 27 मार्च, 2022 से भारत के लिए/से अनुसूचित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू किया।
- xvi. पर्यटन मंत्रालय ने "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)" लागू की है। इस ऋण गारंटी योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/पर्यटन परिवहन ऑपरेटरों को 10.00 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड और पर्यटक गाइड को 1.00 लाख रु. तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।

एलजीएससीएटीएसएस का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपर्युक्त लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना है, ताकि उनकी देनदारियों का निर्वहन किया जा सके और कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित उनके व्यवसाय को फिर से शुरू किया जा सके। उक्त योजना की वैधता 31.03.2023 तक अथवा योजना के तहत 250.00 करोड़ रुपये जारी किए जाने की गारंटी, जो भी पहले हो, तक है और 04.10.2021 को या उसके बाद योजना के तहत स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर 31.03.2023 तक लागू होगी [राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा एलजीएससीएटीएसएस जारी दिशानिर्देश]। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए एनसीजीटीसी द्वारा धन उधार देने वाले संस्थानों (एमएलआई) से कोई

गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह योजना 18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से प्रचालनरत है।
